पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 59 /अका./वि.परि./2025 रायपुर, दिनांक : 07/01/2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 07.01.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
3. डॉ. अशोक कुमार प्रधान – सदस्य
4. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
5. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे – सदस्य
7. डॉ. कविता वैष्णव – सदस्य
8. डॉ. मधु कामरा – सदस्य
9. डॉ. शैल शर्मा – सदस्य
10. डॉ. जगेलाल गहरे – सदस्य
11. डॉ. वैभव वसंत कान्हे – सदस्य
12. डॉ. राघवेन्द्र शर्मा – सदस्य
13. डॉ. स्वप्निल कर्महे – सदस्य
14. डॉ. मालती तिवारी – सदस्य
15. डॉ. बी.एल. सोनेकर – सदस्य
16. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव – सदस्य
17. डॉ. ए.के. परसाई – सदस्य
18. डॉ. पी.के. कड़वे – सदस्य
19. डॉ. रीता वेणुगोपाल – सदस्य
20. डॉ. उमा गोले – सदस्य
21. डॉ. कविता ठाकुर – सदस्य
22. डॉ. बी.एस. ठाकुर – सदस्य
23. श्री कौशल किशोर – सदस्य
24. डॉ. शीला दुबे – सदस्य
25. डॉ. आरती परगनिहा – सदस्य
26. डॉ. मृगेन्द्र द्विवेदी – सदस्य
27. डॉ. साधना जायसवाल – सदस्य
28. डॉ. के.के. साहू – सदस्य
29. डॉ. रीमा तिवारी – सदस्य
30. डॉ. सी.डी. अगासे – सदस्य
31. डॉ. शिप्रा बैनर्जी – सदस्य
32. डॉ. सुनीता दुबे – सदस्य
33. डॉ. विनीता अग्रवाल – सदस्य
34. डॉ. प्रीति के सुरेश – सदस्य
35. डॉ. आर.के. ब्रह्मे – सदस्य
36. डॉ. हेमलता बोरकर – सदस्य
37. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः सम्पुष्टि की गई।

2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 11.06.2024 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.07.2024, 20.08.2024, 26.09.2024, 22.10.2024 एवं 27.11.2024 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

4. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	**नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गरियाबंद**	**बी.ए. (कला संकाय) द्वितीय** वर्ष – आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास	**90**	2024.25
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह) द्वितीय वर्ष– आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	**45**	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) द्वितीय वर्ष– आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	**45**	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) द्वितीय वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	**90**	
	निर्णयः **निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महावि. सरायपाली	M.Sc. Zoology III/IV Sem. -	30	2024–25
		M.A. English III/IV Sem.	30	
	निर्णयः **निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महा. महासमुंद	बी.ए. (कला संकाय) द्वितीय वर्ष –आ.पा.– हिन्दी, अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र	60	2024–25
		बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष (गणित समूह) आ.पा.–हिंदी, अंग्रेजी, रसायशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	60	
		बी.एस–सी. (कम्प्यूटर साइंस) द्वितीय वर्ष आ.पा. –हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कम्प्यूटर भौतिकशास्त्र	60	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) द्वितीय वर्ष– बी.काम. कम्प्यूटर	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलसोंडा, महासमुंद, जिला–महासमुंद	B.A.-II- F.C., History, Sociology, Political Science	40	2022–23
		B.Com.-II- Computer Application	40	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

5. शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को B.A.LL.B. Five year Integrated Course में 120 सीटों के स्थान पर 60 सीटों पर सत्र 2025–26 से 2028–29 तक (II, III, IV & V Year) की सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को B.A.LL.B. Five year Integrated Course में 120 सीटों के स्थान पर 60 सीट करते हुए निम्नानुसार सम्बद्धता प्रदान की जाती है –**

2025–26	B.A.LL.B. Five year Integrated Course-II Year	60 Seats (01 Section)
2026–27	B.A.LL.B. Five year Integrated Course-III Year	60 Seats (01 Section)
2027–28	B.A.LL.B. Five year Integrated Course-IV Year	60 Seats (01 Section)
2028–29	B.A.LL.B. Five year Integrated Course-V Year	60 Seats (01 Section)

6. कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर में संचालित एम.कॉम तथा पी.जी.डी. सी.ए. की कक्षा को असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर में संचालित एम.कॉम तथा पी.जी.डी. सी.ए. की कक्षा को सत्र 2024–25 से परिनियम 27 के कंडिका (9) के अंतर्गत असम्बद्ध करते हुए तत्संबंध में जानकारी शासन को प्रेषित किए जाने की अनुशंसा की गई।

7. छत्तीसगढ़ की आदिवासी–संस्कृति एवं उत्तर–पूर्वीय भारत की आदिवासी–संस्कृति के मध्य शोध–सेतु तथा विशिष्ट अध्ययन के दृष्टिगत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ की आदिवासी–संस्कृति एवं उत्तर–पूर्वीय भारत की आदिवासी–संस्कृति के मध्य शोध–सेतु तथा विशिष्ट अध्ययन के दृष्टिगत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना के लिए निम्नानुसार अनुशंसा की गई–

1. **"श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना तथा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा क्रमांगत वर्षों में रु. 5.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि का निर्माण किया जाना प्रावधानित है।**
2. **संरक्षित निधि की राशि के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, रायपुर जिले के समस्त विधायकगण के साथ–साथ उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया जाए। तद्क्रम में अन्य सामाजिक संगठनों तथा गणमान्य नागरिकों से भी आर्थिक सहयोग स्वीकार किया जाए।**
3. **संरक्षित निधि के निर्माण हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के बजट में रु. 25,00,000.00 (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के प्रारंभिक अंशदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुसार क्रमागत वर्षों में भी विश्वविद्यालय बजट में इस प्रकार की राशि का प्रावधान किया जा सकेगा।**

8. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्थापित "स्वामी विवेकानंद चेयर" में रु. 2.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि के निर्माण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "स्वामी विवेकानंद चेयर" की स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक 74–1/2015 दिनांक 05 जून 2015 के अनुक्रम में किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यकाल वृद्धि हेतु पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही पूर्व शेष अनुदान राशि अप्राप्त है, उक्त दशा में "स्वामी विवेकानंद चेयर" को पुनर्जीवित/संचालित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा किया गया –

1. **पुनर्जीवित/संचालित किये जाने हेतु 2.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि का निर्माण करते हुए आर्थिक सहयोग अन्य शासकीय विभागों, सामाजिक संस्थाओं तथा समाज के गणमान्य नागरिकों से प्राप्त किया जाए।**
2. **संरक्षित निधि के निर्माण हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के बजट में रू. 25,00,000.00 (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के प्रारंभिक अंशदान का प्रावधान किया जाए। आवश्यकतानुसार क्रमागत वर्षों में भी विश्वविद्यालय बजट में इस प्रकार की राशि का प्रावधान किया जा सकेगा।**

9. टीचर फेलोशिप होल्डर तथा नियमित शिक्षकों को पी–एच.डी. प्रवेश साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने के संबंध में अध्यादेश क्र. 45 की कंडिका 5(c) के प्रावधान अंतर्गत प्रवेश परीक्षा 70 प्रतिशत तथा साक्षात्कार 30 प्रतिशत निर्धारित है। किंतु विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों में पदस्थ नियमित शिक्षकों को प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया गया है। अतः मेरीट सूची तैयार किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **टीचर फेलोशिप होल्डर तथा नियमित शिक्षकों को पी–एच.डी. प्रवेश साक्षात्कार के 30 अंक में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पी–एच.डी. हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत छूट मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।**

10. विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03.10.2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 49 की उपधारा (2)(दो) के अंतर्गत चयन समिति हेतु विभिन्न विषयों के लिए विषय विशेषज्ञों की सूची पर विचार करना।

निर्णयः **विषय विशेषज्ञों की सूची सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई है।**

11. सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा सत्र 2025–26 में निम्नलिखित 3 सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तुत Draft Ordinance पर विचार करना –

1. Tribal studies and Indian knowledge system
2. Introduction to Indian knowledge system
3. Indian knowledge system: arts and social sciences

निर्णयः **सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा सत्र 2025–26 में निम्नलिखित 2 सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तुत Draft Ordinance की अनुशंसा की गई –**

1. Ordinance No. - 212- Introduction to Indian knowledge system

2. Ordinance No. - 213- Indian knowledge system: arts and social sciences

साथ ही M.A. in Tribal studies & Indian knowledge system को प्रारम्भ किए जाने की सैद्धांतिक सहमति के साथ संबंधित Ordinance No. 170 को संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए पाठ्यक्रम संचरना आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

12. निम्नलिखित अध्यादेश के प्रस्तावित नवीन विनियम के संबंध में विचार करना –

(i) अध्यादेश क्र. 207 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.A. B.Ed. Course)

(ii) अध्यादेश क्र. 208 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Sc. B.Ed. Course)

(iii) अध्यादेश क्र. 209 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Com. B.Ed. Course)

निर्णयः **प्रस्तावित नवीन विनियम की निम्नानुसार अनुशंसा की गई –**

(i) विनियम क्रमांक– 218– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.A. B.Ed. Course)

(ii) विनियम क्रमांक– 219– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Sc. B.Ed. Course)

(iii) विनियम क्रमांक– 220– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Com. B.Ed. Course)

13. सत्र 2024–25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. महा., लवन, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा
2	शास. सुखराम नागे महा. नगरी (सिहावा), जिला–धमतरी
3	शासकीय माता कर्मा कन्या कन्या महा., मचेवा, महासमुंद
4	बाबू पंढरी राव कृदत्त शास. नवीन महाविद्यालय, सिलौटी, जिला–धमतरी
5	भक्त माता कर्मा शास. नवीन महाविद्यालय, समोदा, जिला–रायपुर
6	शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर
7	शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महा. भाटापारा 493118 (2023–24)
8	शास. खेमराज लक्ष्मीचंद कला वाणिज्य एवं विज्ञान महा., बागबहरा (2023–24 एवं 2024–25)
9	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर–28, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (2023–24)
10	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. कालीबाड़ी, रायपुर
	अशासकीय महाविद्यालय
1	वंदेमातरम महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी

निर्णयः अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु नियम/फार्मूला तय करने पर विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 Four Year Under Graduate Program (FYUP) में उल्लेखित प्रावधान Percentage = 10 x CGPA को आवश्यकतानुसार समस्त सम्बन्धित प्रकरणों में CGPA से प्रतिशत में परिवर्तन हेतु मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।**

02. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के Revenue Generation Model पर विचार करना।

निर्णयः इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के **Revenue Generation Model** का निम्नानुसार अनुशंसा किया गया –

1. **Revenue Generation Model.**

(a) विभागीय स्त्रोत का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों में किया जाना है :–

- कार्यशाला, **Skill** आधारित संगोष्ठी, Skill आधारित **Symposium,** अल्प अवधि **Traning** कार्यकम आदि आयोजित करना। इन कार्यक्रमों में **PG** एवं **UG** महाविद्यालय के विधार्थियों एवं **Industry/Organization** के प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।

(b) Revenue Generation -

- पंजीयन शुल्क से **Revenue Generation** होगा। गतिविधियों की गुणवत्ता एवं समय–सीमा के अनुसार पंजीयन शुल्क कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकता के क्रम में निर्धारित की जा सकेगी।

(c) **Revenue Distribution** निम्नानुसार किया जाना है –

- **30% पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर**
- **30% विभाग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर**
- **30% Supervisors जैसे कि विभाग के Experts/ Regular Faculties/ Guest Faculties/Alumni**
- **05% टेक्निकल स्टाफ**
- **05% तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों**

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

07/01/25 | 7/1/25

कुलपति अध्यक्ष	कुलसचिव सचिव

पृ. क्रमांकः 60 /अका./वि.परि./2025 रायपुर, दिनांक : 07 /01/2025

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)